(461)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डैल ग्वालियर म0प्र0

/17-18 निगरानी – 4071/2018/भिण्ड/भू.रा.

दिनॉक 3.7.18 को
श्री. अवधेश शर्मा
अभि. द्वारा प्रस्तुत।
3.7.18
प0दि0 6.7.18

1. नवल किशोर पुत्र मुन्ना लाल
2. प्रदीप पुत्र ओम प्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पिपरौली तह0 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

——प्रार्थीगण

बनाम्

गंगाराम पुत्र स्वः नेहना जाति बंजारा निवासी बंजारे का पुरा मंजरा पिपरौली तह0 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

——प्रतिप्रार्थी

निगरानी – अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी महोदय गोहद जिला भिण्ड के प्रकरण कमाक 35/16–17/अ0मा0 में पारित आदेश दिनॉक 20–06–2018

माननीय,

प्रार्थीगण की ओर से निगरानी निम्नलिखित पेश है।

1. यह है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पिपरौली में स्थित वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर ग्राम सभा पिपरौली तह0 गोहद जिला भिण्ड में नामान्तरण वावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। वह नामान्तरण पंजी कमांक 27 दिनॉक 01–07–2005 ग्राम सभा ठहराव कमाक 50 ग्राम पिपरौली तह0 गोहद द्वारा प्रार्थीगण का विकय पत्र के आधार पर 1–07–2005 नामान्तरण स्वीकार किया गया। ओर उक्त ग्राम सभा के मुताविक कय सुदा भूमि पर प्रार्थीगणो का राजव अभिलेखो में भूमि स्वामी स्वत्व पर अमल किया गया।
2. यह है कि ग्राम सभा द्वारा 1–07–2005 में पारित्र नामान्तरण ठहराव 50 के विरूद्ध विना हक अधिकार के अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड के समक्ष दिनॉक 02–03–2017 को प्रतिप्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की। जो समयावधि

कमश.................2

XXIX(a)-BR(H)-11

(461)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4071/2018/भिण्ड/भू.रा. **जिला - भिण्ड**

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अवधेश राजौरिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	